न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

प्र0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
38 / 2022	9.06.2023	17.7.23

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

कजोडमल आत्मज छीतरलाल जाति कीर निवासी कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट नाम दुरूस्ती

निर्णय

वादी की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है किः–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 733 की 0.89 हेक्टर, खसरा नम्बर 734 की 0.78 हेक्टर, खसरा नम्बर 826 की 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 828 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 831 की 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 836 की 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 861 की 0.43 हेक्टर , कुल 7 किता की 3.86 हेक्टर भूमि स्थित है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता छीतरलाल व अन्य सहखातेदारान के खाते दर्ज थी जिसमें छीतरलाल जी का 1/3 हिस्सा था। छीतरलाल जी की मृत्यु के बाद वादी व उसके भ्राता मुन्ना का नाम 1/6– 1/6 हिस्से पर दर्ज किया गया। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कजोडमल के स्थान पर कजोडीलाल दर्ज किया हुआ है जो गलत है।

यह कि वादी का नाम कजोडमल है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कजोडमल के स्थान पर सहवन से कजोडीलाल अंकित हो गया। जबकि वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैक पास बुक में भी वादी का नाम कजोडमल अंकित है।

यह कि वाद कारण दिनांक 13.04.2023 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। इस कारण वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादनी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

हस्ता०

कि ग्राम ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 733 की 0. हेक्टर, खसरा नम्बर 734 की 0.78 हेक्टर, खसरा नम्बर 826 की 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 828 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 831 की 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 836 की 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 861 की 0.43 हेक्टर , कुल 7 किता की 3.86 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कजोडीलाल के स्थान पर कजोडमल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम कचनावदा की सम्वत 2073–2076

2– आधार कार्ड की छायाप्रति

3– बैंक डायरी की छाया प्रति

4– भामाशाह कार्ड की छाया प्रति

5– पेन कार्ड की छाया प्रति

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा सहमति का प्रस्तुत कर अनुशंषा की है कि वादी कजोडीलाल का मुताबिक रेकार्ड नाम कजोडमल है तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार कजोडीलाल व कजोडमल को एक ही व्यक्ति के नाम से ही जाना जाता है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम कजोडीलाल के स्थान पर कजोडमल किये जाने की अभिशंषा की है। प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब सहमति का होने से तनकी की आवश्यकता नही होने पर पत्रावली को साक्ष्य में लिया गया। साक्ष्य में वादी की ओर से स्वंम का शपथ पत्र एवं सहखातेदार रामकुंवार पुत्र श्री सूरजमल जाति कीर निवासी कचनावदा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शामिल मिसल है।

प्रकरण को बहस पर नियत किया जाकर बहस वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी तहसीलदार की सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड एवं जवाब सरकार का गहन अवलोकन करने पर वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 733 की 0.89 हेक्टर, खसरा नम्बर 734 की 0.78 हेक्टर, खसरा नम्बर 826 की 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 828 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 831 की 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 836 की 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 861 की 0.43 हेक्टर , कुल 7 किता की 3.86 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कजोडीलाल के स्थान पर कजोडमल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.7.23 को सरे इजलास में न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद